भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4

18.07.2022 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) में विकास परियोजनाओं पर रोक

4. **श्री सुब्रत पाठक :**
श्री रवि किशन :
श्री रविन्दर कुशवाह :
श्री मनोज तिवारी :
श्री बिद्युत बरन महतों :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री धैयशील संभाजीराव माणे :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री सुधीर गुप्ता :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को प्रत्येक संरक्षित वन के 1 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) बनाने के निर्देश दिए हैं और इस परिधि के भीतर किसी भी विकास परियोजना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में खनन कार्य की अनुमति नहीं देने के भी निर्देश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानों के दक्षिण में नौ पशु गलियारों की रूपरेखा और मान्यता प्रदान करने के लिए प्रारूप अधिसूचना को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ): माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में आई.ए. सं. 1000 में दिनांक 3 जून, 2022 के अपने निर्णय द्वारा निदेश दिया है कि प्रत्येक संरक्षित वन, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य, में ऐसे संरक्षित वन की सीमांकित बाउण्डरी से न्यूनतम

एक किलोमीटर का ईएसजेड (पारि-संवेदनशील क्षेत्र) अवश्य होना चाहिए जिसमें दिनांक 9 फरवरी, 2011 के दिशानिर्देशों में उल्लिखित और निर्धारित कार्यकलापों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

माननीय न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि ईएसजेड की न्यूनतम चौड़ाई को व्यापक जनहित में कम किया जा सकता है, किंतु इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सीईसी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संपर्क करेंगे तथा ये दोनों निकाय न्यायालय के समक्ष अपनी राय/सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। उस आधार पर, न्यायालय उचित आदेश पारित करेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निदेश दिया है कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर खनन कार्य की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2011 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिसूचित पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर वाणिज्यिक खनन को निषिद्ध कार्यकलापों में से एक कार्यकलाप के रूप में पहले ही दर्शाया गया है।

(ड.): जैसा कि असम की राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, असम सरकार द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा कर्बी अंगलांग हिल्स को जोड़ते हुए नौ पशु गलियारों की पहचान करने तथा रूपरेखा तैयार करने के संबंध में दिनांक 01.04.2022 को एक अधिसूचना सं. एफआरडब्ल्यू.7/2022/पार्टV/01 जारी की गई है।

*****